कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़ उत्तराखण्ड
महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-164/2018-19/
दिनांक : /02/2019

सेवा में,

निदेशक
शहरी विकास निदेशालय
जनपद - देहारादून।

विषय : निदेशक, शहरी विकास निदेशालय का वर्ष 2017-18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में **शून्य** प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में **03** प्रस्तर तथा STAN मे **शून्य** प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति ।
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप ।

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 164/2018-19</u>

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, जनपद- देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, जनपद- देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री के॰ पी॰ सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विनीत कुमार राही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक 09/01/2019 से 16/01/2019 तक **श्री ए. के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री दीपेश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवी प्रताप सिंह यादव, वरि. लेखापरीक्षक** द्वारा **श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण मे दिनांक 27/07/2017से 08/08/2017 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

1. उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:----
2. उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्या: ----
3. भौगोलिक क्षेत्र: उत्तराखंड राज्य की 92 निकायो का भोगोलिक क्षेत्रफल
4. जनसंख्या: उत्तराखंड राज्य की 92 निकायो की जनसंख्या
5. निर्वाचित सदस्यों की संख्या:---- कोई नहीं
6. आयोजित बैठकों की संख्या:---- कोई नहीं -
7. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा आयोजित बैठकों की संख्या:- कोई नहीं
8. कर्मचारियों की संख्या: 28
9. निदेशालयकी संपत्तियाँ: --- कोई नहीं
10. निदेशालय के अपने प्रोजेक्ट: कोई नहीं
11. योजनाओं की संख्या: आय-व्यय विवरण के अनुसार
12. (अ) सामाजिक संरक्षा: ----
    (ब) रोजगार सृजन से संबन्धित: ----
    (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें : ----
    (द) लाभार्थियों की संख्या : ----
13. वर्ष के दौरान कर, रेट्स, ड्यूटी, चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: आय-व्यय विवरण के अनुसार
14. वर्ष के दौरान कुल व्यय
    (अ) सामान्य : ----

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालयनिदेशक,शहरी विकास निदेशालय- देहरादून, जनपद- देहरादून के विगत तीनवर्षों के दौरान बजटआवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि (रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन (रु मे)	व्यय (रु मे)	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	0	0	1,31,25,144	1,31,25,144	**24729.48**	**24729.48**	0	0	0	0
2016-17	0	0	1,33,00,683	1,33,00,683	**33743.82**	**33743.82**	0	0	0	0
2017-18	0	0	1,72,46,640	1,72,46,640	**37693.00**	**37693.00**	0	0	0	0
कुल योग	**0**	**0**	**4,36,72,467**	**4,36,72,467**	**96166.3**	**96166.3**	**0**	**0**	0	0

भाग-I. 2(ii)(ब)

कार्यालयनिदेशक, शहरी विकास निदेशालय– देहरादून के वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण (रु लाख मे)						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	अवस्थापना विकास निधि	0	3583.28	3583.28	3583.28	0
2	स्वच्छ भारत मिशन	0	953.30	953.30	953.30	0
3	राजीव आवास योजना	0	4896.73	4896.73	4896.73	0
4	NULM	0	614.31	614.31	614.31	0
5	नगरपालिकाओं में पार्को की स्थापना	0	98.46	98.46	98.46	0
6	राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM)	0	723.81	723.81	723.81	0
7	(वाह्य सहायतित)नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण व्यावसायिकतथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0	13809.59	13809.59	13809.59	0
8	रैन बसेरों का निर्माण	0	50.00	50.00	50.00	0
कुल योग		**0**	**24729.48**	**24729.48**	**24729.48**	**0**

कार्यालयनिदेशक, शहरी विकास निदेशालय– देहरादून के वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण (रु लाख मे)						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	अवस्थापना विकास निधि	0	2754.1	2754.1	2754.1	0
2	स्वच्छ भारत मिशन	0	580.00	580.00	580.00	0
3	अमृत	0	7068.00	7068.00	7068.00	0
4	राजीव आवास योजना	0	920.70	920.70	920.70	0
5	NULM	0	597.89	597.89	597.89	0
6	श्वान पशु बध्याकरण	0	132.64	132.64	132.64	0
7	UIDSSMT	0	882.80	882.80	882.80	0
8	राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM)	0	403.23	403.23	403.23	0
9	(वाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण व्यावसायिकतथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0	16057.20	16057.20	16057.20	0
10	हाउसिंग फार आल	0	4063.00	4063.00	4063.00	0
11	उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहननिधि	0	10.00	10.00	10.00	0
12	रैन बसेरों का निर्माण	0	60.11	60.11	60.11	0
13	स्मार्ट सिटी	0	200.00	200.00	200.00	0
14	निकायों मे SWM का क्रियान्वयन	0	14.15	14.15	14.15	0

कुल योग	**0**	**33743.82**	**33743.82**	**33743.82**	**0**

कार्यालयनिदेशक, शहरी विकास निदेशालय– देहरादून के वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण (रु लाख मे)						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	अवस्थापना विकास निधि	0	2561.33	2561.33	2561.33	0
2	उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	0	30.00	30.00	30.00	0
3	रैन बसेरों का निर्माण	0	14.14	14.14	14.14	0
4	रेल यात्रीकर/चुंगीकर हेतु हरिद्वार को अवमुक्त	0	24.73	24.73	24.73	0
5	स्वच्छ भारत मिशन	0	1515.30	1515.30	1515.30	0
6	अमृत	0	9246.15	9246.15	9246.15	0
7	NULM	0	377.63	377.63	377.63	0
8	श्वान पशु बध्याकरण	0	41.44	41.44	41.44	0
9	शहरी नवीकरण मिशन (NURM)	0	581.09	581.09	581.09	0
10	(वाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण व्यावसायिकतथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0	22732.00	22732.00	22732.00	0
11	स्मार्ट सिटी	0	300.00	300.00	300.00	0
12	पी.एम.ए.वाई	0	269.20	269.20	269.20	0
कुल योग		**0**	**37693.00**	**37693.00**	**37693.00**	**0**

लेखाओं पर टिप्पणी:-
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग सेनहीं हो रहा है।
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारितप्रारूप में नहीं किया जा रहा है।

भाग-I. 2(ii)(स)						
कार्यालयनिदेशक, शहरी विकास निदेशालय - देहरादून, की केंद्र पुरोनिधानितयोजनाओं का आय-व्यय विवरण						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	953.30	953.30	953.30	0
2015-16	राजीव आवास योजना	0	4896.73	4896.73	4896.73	0
2015-16	NULM	0	614.31	614.31	614.31	0
2015-16	राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM)	0	723.81	723.81	723.81	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	580.00	580.00	580.00	0
2016-17	अमृत	0	7068.00	7068.00	7068.00	0
2016-17	राजीव आवास योजना	0	920.70	920.70	920.70	0
2016-17	NULM	0	597.89	597.89	597.89	0
2016-17	राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM)	0	403.23	403.23	403.23	0
2016-17	हाउसिंग फार आल	0	4063.00	4063.00	4063.00	0
2016-17	निकायों मे SWM का क्रियान्वयन	0	14.15	14.15	14.15	0
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	0	1515.30	1515.30	1515.30	0
2017-18	अमृत	0	9246.15	9246.15	9246.15	0
2017-18	NULM	0	377.63	377.63	377.63	0
2017-18	शहरी नवीकरण मिशन (NURM)	0	581.09	581.09	581.09	0
2017-18	पी.एम.ए.वाई	0	269.20	269.20	269.20	0

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, जनपद-देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **08/2017 एवं 02/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 20(1); लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2ब

प्रस्तर 1: विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता नीति के कारण रू 109.20 लाख अवरूद्ध रहना।

शासन के क्रमशः पत्र सं0 646एवं 511 व दिनॉक 25जून, 2018एवं 17मई, 2018 के द्वारा क्रमशः रु0 546 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश (20) अर्थात रु0107.80 लाख अवमुक्त करने के उपरांत वर्तमान में में capacity Bulding हेतु निर्धारित राज्यांश रु0 7.00लाख के सापेक्ष 20 अर्थात रु01.40 लाख की धनराशि 31.03. 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा ,दिया जायेगा की शर्त पर व्यय हेतु आंवटित की गयी गयी थी।

कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशलय, उत्तराखण्ड, देरादून के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उक्त धनराशि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को हस्तान्तरित की जानी थी किन्तु उक्त संस्था द्वारा बैक खाता नहीं खुलवाने के कारण उक्त धनराशि उक्त संस्था को सम्प्रेक्षा तिथि 11.01.2019 तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सका थी और निदेशक महोदय के आदेशानुसार ' निदेशक शहरी विकास अमृत के नाम से दी नैनीताल बैक में खाता खुलवाकर उक्त धनराशि को जमा करवा दी गयी।

इस प्रकार, बिना पूर्व नियोजन के धनराशि की मॉग किये जाने से धनराशि बिना व्यय के पडी रहने से जो लाभ जन को प्राप्त होता वह प्राप्त नहीं हो सका। तथा सही नियोजन नहीं होने से धनराशि बिना व्यय के पडी रहने से दूसरी योजना में शासकीय धनराशि का उपयोग भी नहीं किया जा सका था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि हॉ शासकीय धनराशि को ऑवटन हेतु शासन को प्रस्ताव अथाव मॉग प्रेषित किया गया था। इस प्रकार, बिना पूर्व नियोजन के धनराशि की मॉग किये जाने से धनराशि आठ माह से बिना व्यय के पडी रहने से जो लाभ जन को प्राप्त होता वह प्राप्त नहीं हो सका।

अतःविभागीय शिथिलता एवं उदासीनता नीति के कारण रू 109.20 लाख अवरूद्ध रखने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 2- रु. 25.37 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का अप्राप्त रहना।

शासनादेश संख्या604/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.)/2012टी.सी. एवं 246/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.)/ 2012टी.सी. की बिन्दु संख्या क्रमशः (VII) एवं (X) के अनुसार, धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

ए.बी.सी. कैम्पस

क्र.सं.	शासनादेश सं.	दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रु लाख मे)	धनराशि प्राप्त करने वाली इकाई का नाम	U.C प्राप्त करने का वर्ष
01	604/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.)/2012टी.सी.	25.05.2017	1.5	NPP, मसूरी	31.03.18
02	246/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.)/2012टी.सी.	27.02.2018	23.87	NN, रुद्रपुर	31.03.18
	कुल धनराशि		**25.37**		

कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशालय- देहरादून की ए.बी.सी.(एनिमल बर्थ कंट्रोल) योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में उक्त योजना हेतु नगर निकायों को कुल रु. 25.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं उत्तराखंड शासन के स्वीकृति पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था, परंतु उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा तिथि तक अप्राप्त था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया गया कि अवमुक्त धनराशि रु 25.37 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित निकायों से प्राप्त कर, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

इकाई द्वारा दिये गये उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकिउत्तराखंड शासन के स्वीकृति पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

अतःकुल रु. 25.37 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2ब

प्रस्तर 3: विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता के कारण रू 8.67 लाख निरर्थक व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड vi के नियम 378 के अनुसार भूमि की उपलब्धतता बिना सुनिश्चित किये कोई धनराशि व्यय/अवमुक्त नही किया जाना चाहिए।

कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशलय, उत्तराखण्ड, देरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि शहरी विकास निदेशलय, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्थायी भवन कारगी चौक स्थित निर्माण हेतु शासनादेश के अनुपालन में रू0 8.67 लाख अधिशासी अभियन्ता खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून को प्रेषित किये गये थे, अधिशासी अभियन्ता लो0 नि0 वि0 देहरादून द्वारा उक्त पूर्व प्रेषित की धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं विस्तृत आँगणन कार्यालय को प्रेषित किया गया। ततपश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं विस्तृत आँगणन रू0 1311.39 लाख की मूल कापी सहित शासन को संस्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

आगे जॉच मे पाया गया कि सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि शहरी अवस्थपना विकास से सम्बन्धित समस्त विभागों शहरी विकास निदेशालय, ए0डी0बी0, स्मार्ट सिटी व अन्य को मिलाकर कार्यालय हेतु एक ही भव्य व बहुमंजिला शहरी विकास निदेशालय भवन निर्मित किया जाये।

इस प्रकार, उक्त समस्त विभागों को मिलाकर कार्यालय हेतु एक ही भव्य व बहुमंजिला शहरी विकास निदेशालय भवन निर्मित किया जाना भवन उपविधि के अनुरूप संभव नहीं हो पा रहा हैं, और विभाग द्वारा उक्त भवन के निर्माण हेतु दुसरी जगह तलाश किया जा रहा है।

इस पंकार बिना भूमि सुनिश्चित किये अधिशासी अभियन्ता खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून से डी0पी0 आर0 बनावकर अधिशासी अभियन्ता खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून को रू0 8.67 लाख व्यय नहीं किया जाना चाहिए था। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में निदेशलय के आवश्कतानुसार तत्समय भूमि पर भवन निदेशलय के लिए डी0पी0आर0 तैयार की गई थी शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं होने से भवन तैयार नहीं किया जा सका। विभाग का उतर मान्य नहीं हैं, क्योंकि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड vi के नियम 378 के विपरीत विभाग द्वारा डी0पी0 आर0 पर रू0 8.67 लाख व्यय नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः विभाग द्वारा डी0पी0 आर0 पर रू0 8.67 लाख निरर्थक व्यय किये जाने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, जनपद- देहरादून** के लेखाभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2017-18** तककी संप्रेक्षा श्री ए. के. भारतीय, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री के॰ पी॰ सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री विनीत कुमार राही, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 09**-01-2019** से **16-01-2019** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
62 /2017-18	--	1,2	1
71 /2016-17	1,2	1,2 ,3	--
67/2014-15	--	2	--

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपर्युक्त की भाँति	उपर्युक्त की भाँति	अप्रस्तुत	--	-----

भाग IV

इकाई के अच्छे कार्य

संतोषजनक

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालयनिदेशक,शहरी विकास निदेशालय, जनपद- देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i)

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i)

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	नाम	अवधि
01		
02		
03		
04		
05		
06		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालयनिदेशक,शहरी विकास निदेशालय, जनपद- देहरादून**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ **उपमहालेखाकर (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), कौलागढ़,देहरादून**को प्रेषित कर दी जाये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी,
ले. प. दल संख्या- 2